रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 731] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 1996/अग्रहायण 28, 1918
No. 731] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 1996/AGRAHAYANA 28, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1996

आय-कर

का.आ. 882 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54 ड.ख. की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित आस्तियां, जिन्हें दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट आस्तियां कहा गया है, विनिर्दिष्ट करती हैं, अर्थात् :—

1. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन स्थापित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित किसी समनुषंगी बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, अर्थात् बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के अधीन गठित किसी तत्समान नए बैंक या बैंकिंग का कारबार चलाने में लगी हुई किसी सहकारी सोसाइटी (जिसके अन्तर्गत कोई सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) में सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए निक्षेप ;

2. आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले सात वर्ष की अवधि के पश्चात् मोचनीय सभी बंधपत्र;

3. धारा 10 के खण्ड(23घ) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट भी है) द्वारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले सात वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनः क्रय किए जाने योग्य सभी यूनिट।

[अधिसूचना सं. 10247/फा.सं. 142/58/96-टीपीएल]

जय राज काजला, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1996

(Income-tax)

S.O. 882(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following assets, referred to as the long-term specified assets, for the purposes of the said section, namely:—

1. Deposits for a period of not less than seven years with the State Bank of India established under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), or any subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), or any nationalised bank, that is to say, any corresponding new bank, constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), or any cooperative society engaged in carrying on the business of banking (including a cooperative land mortgage bank or cooperative land development bank);

2. All bonds, redeemable after a period of seven years, issued or to be issued by the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi;

3. All units, repurchasable after a period of seven years, issued or to be issued by any mutual fund (including the Unit Trust of India) referred to in clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 10247/F.No. 142/58/96-TPL]

JAI RAJ KAJLA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996